



2026:AHC: 27710-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 23/2026

राजकुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, जितेन्द्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकाय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट और पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 3 और पी.डब्ल्यू. 4 के बयानों को संलग्न करते हुए दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील मृतका के पिता द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, मेरठ द्वारा सत्र विचारण संख्या - 653 वर्ष 2017, जो धारा 498-ए, 304-बी, 302/34 भा.द.सं. और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-इंचौली, जनपद-मेरठ के अंतर्गत पंजीकृत है, में अभियुक्त विपक्षी संख्या 2 और 3 को दोषमुक्त करने वाले निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.10.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है।

अभियोजन द्वारा अभिकथित वाद के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 13.06.2016 को शाम 6:10 बजे अपीलार्थी की पहल पर मुकदमा अपराध संख्या - 227 वर्ष 2016, धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, इस अभिकथन के साथ दर्ज किया गया था कि उसकी पुत्री अंशुल उर्फ पायल का विवाह 21.04.2014 को राहुल के साथ हुआ था। राहुल, विपक्षी संख्या 2 और 3 का पुत्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया था कि राहुल और विपक्षी संख्या 2 और 3 तथा राहुल के अन्य रिश्तेदारों ने मृतका अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



को दहेज के लिए क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया। यह आगे अभिकथन किया गया था कि 12.06.2016 को शाम 6:00 से 7:00 बजे के बीच सूचनादाता की पुत्री ने फोन किया और अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि राहुल उसे लगातार फोन कर रहा था और धमकी दे रहा था, अर्थात् मृतका को कि यदि उसने अपने माता-पिता को उसके ससुराल वालों को टाटा सफारी कार देने के लिए राजी नहीं किया, तो उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे मार दिया जाएगा। यह अभिकथन किया गया था कि क्योंकि माता-पिता और मृतका, मृतका के ससुराल वालों की दहेज की मांगों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए राहुल और विपक्षी संख्या 2 और 3 सहित मृतका के ससुराल वालों ने उसकी पुत्री को फांसी पर लटकाकर मार डाला।

विचारण न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं कि पंचायतनामा शाम 6:40 बजे नायब तहसीलदार की उपस्थिति में किया गया था, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे। पंचायतनामा रिपोर्ट दर्शाती है कि शव घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में लटका हुआ पाया गया था और पुलिस तथा मजिस्ट्रेट द्वारा शव तभी निकाला जा सका, जब पहली मंजिल के मुख्य गेट के ताले और दूसरी मंजिल के उस कमरे का दरवाजा भी, जिसमें शव लटका हुआ पाया गया था, तोड़ा गया क्योंकि वह अंदर से बंद था। पंचायतनामा रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पहली मंजिल के मुख्य गेट का दरवाजा भी अंदर से बंद था। जिस समय शव निकाला जा रहा था, मृतका के ससुराल वाले और अन्य ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। पंचायतनामा रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मृतका के दोनों कानों में ईयरफोन थे और उसके कपड़ों के साथ इंटेक्स फोन का एक मोबाइल क्लिप भी लगा हुआ था। सूचनादाता भी पंचायतनामा रिपोर्ट का एक गवाह था।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। शव का पोस्टमार्टम दिनांक 14.06.2020 को रात 10:50 बजे किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दर्ज है कि मृत्यु, मृत्यु-पूर्व फांसी के कारण श्वासवरोध से हुई थी।

तत्पश्चात, पुलिस ने विपक्षी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध धारा 498ए/304बी भा.द.सं. और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। मामले को सामान्य प्रक्रिया में सत्र न्यायालय द्वारा विचारण के लिए सुपुर्द किया गया और फलस्वरूप सत्र विचारण संख्या - 653 वर्ष 2017 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 और 3 पर धारा 498ए/304बी भा.द.सं. और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तथा धारा 302/34

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भा.द.सं. के अंतर्गत वैकल्पिक आरोप के लिए आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की गई।

विचारण के दौरान अभियोजन ने सूचनादाता को पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में और एक कपिल कुमार को पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में परीक्षित किया। कपिल कुमार मृतका के शरीर पर मिले मोबाइल फोन की फर्द बरामदगी का भी साक्षी है। अभियोजन द्वारा सूचनादाता के एक रिश्तेदार सत्यवीर को पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षित किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में परीक्षित किया गया। पंचायतनामा करने वाले नायब तहसीलदार को पी.डब्ल्यू. 6 के रूप में और विवेचना अधिकारी को पी.डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षित किया गया। एफ.आई.आर. लेखक को पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में परीक्षित किया गया।

विचारण के दौरान अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और यह बचाव लिया कि मृतका ने आत्महत्या की थी और उन्होंने कभी न तो दहेज की मांग की और न ही मृतका को दहेज के लिए क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि मृतका विपक्षीगण से अलग रह रही थी। बचाव पक्ष द्वारा यह भी दावा किया गया कि मृतका अपने ससुराल वालों, अर्थात् अभियुक्तों के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसके माता-पिता ने उसे जबरदस्ती उसके ससुराल भेजा था। मृतका के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध थे, जिसके कारण वह मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान थी और अंततः उसने आत्महत्या कर लिया।

विचारण न्यायालय ने, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अभियोजन साक्षियों की गवाही में बड़ी विसंगतियों को देखते हुए, अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

अपने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचायतनामा से पहले दर्ज की गई थी, लेकिन पी.डब्ल्यू. 1 पंचायतनामा रिपोर्ट का भी साक्षी है, जिसमें दर्ज है कि शव पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे, जो अंदर से बंद था, और घर की दूसरी मंजिल के बेडरूम के दरवाजे, जिसमें शव लटका हुआ पाया गया था, के ताले तोड़ने के बाद निकाला गया था। अपने साक्ष्य में साक्षी ने कहा है कि जब वह मौके पर पहुँचा तो उसने देखा कि शव को नीचे उतार लिया गया था और फर्श पर लिटाया गया था। साक्षी ने कहा है कि उसके मौके पर पहुँचने से पहले शव निकाल लिया गया था। प्रत्यक्षतः, पी.डब्ल्यू. 1 की गवाही और पंचायतनामा रिपोर्ट की टिप्पणियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बीच बड़ी विसंगति है, जिसका पी.डब्ल्यू. 1 एक साक्षी है। अभियोजन द्वारा इस विसंगति को स्पष्ट नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अपनी गवाही में साक्षी कहता है कि पंचायतनामा के दौरान पुलिस निरीक्षक मौजूद थे और उन्होंने साक्षी से कहा था कि यदि वह चाहता है कि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, तो वह दहेज उत्पीड़न का वाद तैयार करवा ले। साक्षी का उपरोक्त साक्ष्य यह संभावना पैदा करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय-पूर्व था और उचित विचार-विमर्श के बाद दर्ज किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा नोट किए गए साक्ष्य से यह भी सामने आता है कि साक्षी की बहन की शादी भी उसी गाँव में हुई थी, जहाँ उसकी पुत्री की हुई थी और उसका घर मृतका के घर के बगल में था। हालाँकि, साक्षी की बहन और बहनोई, अर्थात् मृतका की बुआ और फूफा, को न तो मृतका के ससुराल वालों, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 और 3 द्वारा उसके प्रति क्रूरता और उत्पीड़न के दावे की पुष्टि करने के लिए और न ही उसे फांसी लगाकर मारे जाने के दावे की पुष्टि करने के लिए साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया है। पी.डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य से यह भी सामने आता है कि विपक्षी संख्या 2 और 3 के पास दो अलग-अलग घर थे और अपने साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. संख्या 1 ने कहा है कि विपक्षीगण मृतका से अलग रह रहे थे।

यह आगे उल्लेखनीय है कि अपने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 ने कहा है कि जब साक्षी मौके पर पहुँचा और शव निकाला गया, तब मृतका के ससुराल वाले वहाँ मौजूद नहीं थे। हालाँकि, उक्त तथ्य की पुष्टि पी.डब्ल्यू. 6, अर्थात् मजिस्ट्रेट-नायब तहसीलदार की गवाही से नहीं होती है, जिनकी देखरेख में पंचायतनामा किया गया था। पंचायतनामा रिपोर्ट में दर्ज है कि जब शव निकाला जा रहा था, तब मृतका के परिवार के सदस्य और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। साक्षी, अर्थात् पी.डब्ल्यू. 6 ने पंचायतनामा रिपोर्ट को भी सिद्ध किया है, जिसमें ऊपर बताए अनुसार विवरण शामिल हैं। अपनी प्रति-परीक्षा में भी पी.डब्ल्यू. 6 ने कहा कि जब शव निकाला जा रहा था, तब मृतका के ससुराल वाले मौजूद थे।

अपने साक्ष्य में, पी.डब्ल्यू. 5, अर्थात् मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सिद्ध किया और यह भी कहा कि यह आत्महत्या का मामला था क्योंकि शव पर पाई गई चोटें सामान्यतः आत्महत्या के मामलों में कारित होती हैं। मृतका की हायोइड हड्डी नहीं टूटी थी, जिससे पता चलता है कि मृत्यु गला घोटने के कारण नहीं हुई थी। शव पर कोई अन्य बड़ी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चोट नहीं पाई गई। साक्षी ने राय दी है कि मृत्यु, मृत्यु-पूर्व फांसी के कारण श्वासवरोध से हुई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 ने कहा कि उसे अपनी पुत्री की मृत्यु की सूचना उसकी बहन से मिली, जबकि पी.डब्ल्यू. 7, जो वाद में एस.पी. इंटेलिजेंस और विवेचना अधिकारी थे, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतका की माँ ने उन्हें बताया था कि उन्हें अपनी पुत्री की मृत्यु की सूचना पुलिस से मिली थी।

अभियोजन का वाद यह था कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था। उपरोक्त वाद को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने दावा किया कि 12.06.2020 को मृतका ने अपने माता-पिता को फोन किया था और बताया था कि राहुल, अर्थात् मृतका के पति और विपक्षी संख्या 2 और 3 के पुत्र ने मृतका को फोन किया था और उसे धमकी दिया था जैसा कि वर्तमान निर्णय के प्रारंभिक प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है। हालाँकि, यह साबित करने के लिए कि राहुल ने 12.06.2020 को या 12.06.2020 से ठीक पहले किसी भी तिथि को मृतका को फोन किया था, अभियोजन द्वारा मृतका के फोन का कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु 12.06.2020 की सुबह हो सकती थी। किसी भी मामले में, उपरोक्त दावा यदि स्वीकार भी कर लिया जाए, तो केवल यह साबित करता है कि राहुल, अर्थात् मृतका के पति ने मृतका को क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया था और विपक्षी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध कोई वाद साबित नहीं करता है। साक्ष्य में यह भी है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन राहुल, अर्थात् मृतका का पति मौके पर मौजूद नहीं था और सी.आर.पी.एफ. में ड्यूटी पर था। अभियोजन द्वारा दहेज की किसी मांग को साबित करने के लिए या यह साबित करने के लिए कि मृतका को दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्य अभियोजन की कहानी के संबंध में उचित संदेह पैदा करते हैं और दर्शाते हैं कि अभियोजन विपक्षी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध धारा 302/34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपने वाद को और इस वाद को भी कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था और इसलिए, विपक्षी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध धारा 304बी/498ए भा.द.सं. और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपना वाद साबित करने में विफल रहा। अभियोजन के वाद में कमियों को नोट करने के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बाद, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध अपना वाद उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

हमें विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई ऐसी विकृति या कोई अन्य त्रुटि नहीं मिली, जिससे अपील में साक्ष्य के पुनः परीक्षण पर विचार किया जाए। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है।

उपरोक्त कारणों से, अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और इसे संक्षेप में **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

9 फरवरी, 2026

अनुराग/-